(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)
O.I.G.S.
डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

दो गज दूरी
मास्क जरूरी

राजस्थान
रोज़गार संदेश
(पाक्षिक)

दो गज दूरी
मास्क जरूरी

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 43 अंक 24 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 1 फरवरी, 2021 फोन : 2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु

नागरिको को रोजगार तथा उद्योगों / नियोक्ताओं को जन-शक्ति उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार की अभिनव पहल

कोविड-19 की आपदा की घड़ी में श्रमिकों के पलायन व लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के बंद रहने से राज्य में आने वाले प्रवासियों के सामने रोजगार का तथा उद्योगों के सामने जन शक्ति की उपलब्धता का संकट आ गया था। ऐसे में जन-शक्ति व नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दिनांक 16 मई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में सूचना प्रौद्योगिकी एवं श्रम व रोजगार विभाग के समन्यवित प्रयासों द्वारा राजस्थान में उपलब्ध, सभी सेवा श्रेणियों की जन-शक्ति / श्रमिक व नियोक्ताओं (Employers) का एक मास्टर डेटा-बेस "राज-कौशल (Rajasthan Employment Exchange)" मात्र 2 सप्ताह में तैयार किया गया। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून को किया गया था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत "राज-कौशल" पोर्टल का लोकार्पण करते हुए।

इसमें राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति (सॅनिर्माण श्रमिक, कोविड प्रवासी श्रमिक, पंजीकृत बेरोजगार, RSLDC प्रशिक्षित, ITI प्रशिक्षित इत्यादि) के डाटा को एक स्थान पर लाया गया है। साथ ही राज्य में उपलब्ध सभी संस्थान (उद्योग/व्यापार/प्रशिक्षण संस्थान) जो रोजगार देने में सक्षम है उनको BRN (Business Registration Number) या UAN (Udhyog Aadhar Number) के आधार पर इस मास्टर डेटा-बेस में जोड़ा गया है।

श्रम सचिव श्रीमान नीरज के. पवन ने बताया कि इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रवासी लोगों को रोजगार दिलाने तथा उनका कौशल बढ़ाने के लिये की गयी राजस्थान सरकार की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा इससे प्रेरित होकर इस तरह के समाधान विकसित किये गए हैं / किये जा रहे हैं।

राज-कौशल पोर्टल पर नागरिक/ श्रमिक/ जन-शक्ति अपने SSO ID, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के द्वारा उपलब्ध निम्न सेवाओं का सुगमता से लाभ ले सकते है :

- पंजीयन।
- प्रोफाइल देखना, अपडेट करना तथा पंजीयन के आधार पर पोर्टल द्वारा बनाये गये बायोडाटा को डाउनलोड करना।
- नई सेवा/स्किल को जोड़ना।
- रोजगार की स्थिति अपडेट करना।
- अपनी सेवा की श्रेणी व कार्य के आधार पर उपलब्ध रोज़गारों की तलाश करना।
- किसी उपलब्ध रोजगार के लिये आवेदन करना, ऐसा करने पर उसकी सूचना संबंधित नियोक्ता के पास उपलब्ध हो जाएगी।
- अपने आवेदनों की स्थिति जांचना।
- प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्ज कराना।

राज-कौशल पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता (उद्योग/ व्यापार/ प्रशिक्षण संस्थान/ ठेकेदार) BRN नंबर द्वारा अपनी वैधता सत्यापित कर, सुगमता से निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं :-

- अपने संस्थान में रोजगार की आवश्यकता (JOB) दर्ज करना।
- पोस्ट किये गये JOB के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों की जानकारी देखना।
- नियोक्ता द्वारा रूचि दर्शाने पर आवेदनकर्ता से नियोक्ता की सूचना साझा की जायेगी।
- दर्ज आवश्यकता (JOB) के आधार पर उपलब्ध श्रमिक/ जन-शक्ति उसे visible हो जाएगी। उसमें से किसी का भी प्रोफाइल देखकर नियोक्ता उसे SMS भेज पाएगा।
- उपलब्ध श्रमिक/ जन-शक्ति में से नियोक्ता अपनी आवश्यकता (सेवा की श्रेणी, कार्य का प्रकार, पता इत्यादि) के आधार पर तलाश कर सकता है, तथा किसी भी नियोक्ता के प्रोफाइल में SMS भेजकर अपनी रुचि दर्शा सकता है।
- दर्ज आवश्यकता के विरुद्ध श्रमिक/ जन-शक्ति से प्रासरुचि अथवा स्वयं द्वारा दर्शायी गयी रुचि के आधार पर यदि किसी श्रमिक/ जन-शक्ति का नियोक्ता द्वारा चयन किया जाता है तो यह सूचना नियोक्ता को अपडेट करनी होगी।
- इसके अलावा नियोक्ता अपना प्रोफाइल देखने, अपडेट करने का कार्य कर सकता है।

सरकारी अधिकारियों हेतु पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं :

- राज-कौशल पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकारी उपयोगकर्ताओं हेतु SSO के माध्यम से लॉग इन कर डैशबोर्ड देखने, प्रवासी लोगों के कौशल की मैपिंग करने की सुविधा दी गयी है। जिस पर विभिन्न विभागों (यथाश्रम, रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, RSLDC, उद्योग इत्यादि) के जिला व उपखंड स्तर के अधिकारी कार्य कर रहे हैं।
- साथ ही विभिन्न विभागों यथा रोजगार, श्रम, उद्योग, RSLDC इत्यादि के जिलास्तरीय अधिकारियो को इस पोर्टल पर उपलब्ध रोजगार, श्रमिक, नियोक्ताओं इत्यादि की सूचनाएं Excel फाइल में डाउनलोड करने तथा रोजगार प्रदान किये जाने की सूचना दर्ज करने का विकल्प दिया गया है।

राजकौशल की सुविधाओं को कैसे access किया जा सकता है ?

- rajkaushal.rajasthan.gov.in पोर्टल द्वारा
- sso.rajasthan.gov.in पर सिटीजन एप्लीकेशन में राजकौशल एप्लीकेशन द्वारा
- Google play store पर उपलब्ध राजकौशल मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा
- राजकौशल पोर्टल पर राजबोट (चैटबोट) की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसका उपयोग करके श्रमिक/नागरिक कुछ सामान्य प्रश्नों का हिंदी में जवाब देकर अपना पंजीयन करवा सकता है। यदि पहले से पंजीकृत है तो अपनी प्रोफाइल (रोजगार की स्थिति, प्रशिक्षण की आवश्यकता, स्किल का विवरण) को अपडेट कर सकता है।

वर्तमान स्थिति :-

- कुल उपलब्ध श्रमिक/जन-शक्ति : 55.56 लाख
- श्रमिक/जन-शक्ति पंजीयन (स्वयं) : 42495
- श्रमिक/जन-शक्ति पंजीयन (प्रशासन द्वारा) : 173403
- कुल उपलब्ध नियोक्ता (**Employers**) : 11.18 लाख
- नियोक्ता (**Employer**) पंजीयन और प्रोफ़ाइल अपडेट : 221
- कुल कौशल मैपिंग : 28.28 लाख
- प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग : 2.39 लाख
- कुल दर्ज़ रोजगार /आवश्यकताएँ : 30066
- प्रदान किये गए रोजगार : 1871
- नियोक्ता (**Employer**) पंजीयन और प्रोफ़ाइल अपडेट : 221
- रूचि दर्शाने वाली जनशक्ति : 2650 (75 नियोक्ताओं में)
- रूचि दर्शाने वाले नियोक्ता : 1111

भविष्य में राजकौशल एप्लीकेशन के माध्यम से रोजगार सम्बंधित निम्न सेवाएं भी प्रदान की जानी प्रस्तावित है :-

- प्लेसमेंट एजेंसी मॉडयूल
- नागरिकों के लिए स्थानीय सेवाएं
- बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन हस्तांतरण
- कैरियर विकास और परामर्श सेवाएं
- शैक्षिक संस्थानों के लिए प्लेसमेंट सेल मॉडयूल

आभार - उमेश जोशी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, बिलासपुर (छ.ग.)
मुख्यालय, कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी.एस. कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495004

स.पी–एचक्यू/आरआरसी/798/स्पोर्ट कोटा 2020–21/ दिनांक : 23.01.2021

अधिसूचना

विषय : वर्ष 2020–21 के लिए खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती (खुला विज्ञापन)। अंतिम तारीख : 23.02.2021

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर पे मैट्रिक्स लेवल – 2/3 (पे बैंड रु. 5200–20200/–; ग्रेड पे– रु. 1900/– रु. 2000/–; 6वे. सीपीसी), पे मैट्रिक्स लेवल–4 (पे बैंड रु. 5200–20200/–; ग्रेड पे–रु. 2400/–; 6वे. सीपीसी) और पे मैट्रिक्स लेवल – 5 (पे बैंड रु. 5200–20200–; ग्रेड पे– रु. 2800/– 6वें सीपीसी) में निम्नलिखित खेलकूद विधाओं के अंतर्गत पात्र खिलाड़ियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

1. विधाएं :

क्र.	खेल	ग्रुप 'सी' (6 वा सीपीसी पे बैंड'. 5200–20200/–)		पदों की संख्या
		पे मैट्रिक्स लेवल–4/5; (7वे. सी.पी.सी.) (ग्रेड पे–2400/2800/–)	पे मैट्रिक्स लेवल–2 या 3; (7 वे. सी.पी.सी.) (ग्रेड पे–1900/2000/–)	
		खेल का विवरण	खेल का विवरण	
1	तीरंदाजी (पु)	Recurv	-	1
2	तीरंदाजी (म)	Recurv	-	1
3	एथलेटिक्स (पु)	-	Shot-Put	1
4	एथलेटिक्स (म)	-	Discus Throw	1
5	बास्केट बॉल (म)	-	Forward	1
6		Post	-	1
7		-	Feeder	1
8	बॉक्सिंग (म)	54 Kg.	-	1
9		-	60 Kg.	1
10		-	64 Kg.	1
11	क्रॉस कंट्री (पु)	10 Km	-	1
12	क्रॉस कंट्री (म)	10 Km	-	1
13	फुटबॉल (पु)	-	Goalkeeper	1
14		-	Stopper	1
15		-	Mid Fielder	1
16		-	Striker	1
17	गोल्फ (पु)	-	2	2
18	हैंडबॉल (म)	-	Goal Keeper	1
19		-	All Rounder	1
20		-	Left Wing	1
21	खो–खो (पु)	-	Defender	1
22		-	Chaser	2
23	पावर लिफ्टिंग (पु)	-	93 Kg	1
24	वेट लिफ्टिंग (म)	-	55 Kg	1
			Total	26

('पु' से आशय पुरुष और 'म' से आशय महिला)

नोटः (ए) कोई भी पद विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है.

(बी) पे मैट्रिक्स, लेवल –2 और लेवल –3 पदों के लिए खेल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार; (ग्रेड पे रु. 1900/2000/–) लेवल–4 और लेवल–5 (ग्रेड पे रु. 2400/2800/–) के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यदि लेवल –4 और लेवल–5 (ग्रेड पे रु. 2400/2800/–) के लिए कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उन पदों को लेवल–2 और लेवल–3 (ग्रेड पे रु. 1900/ 2000/–) के विरुद्ध माना जाएगा। हालांकि, उन्हें लेवल–2 और लेवल–3 (ग्रेड पे रु. 1900/ 2000/–) में ही भर्ती किया जाएगा.

- The sports Achievement in the events conducted by Basketball Federation of India after 26-07-2017 shall be considered for recruitment.
- For Boxing: Sports achievements in the events conducted by the Indian Amateur Boxing Federation or any of its affiliates shall not be considered for purpose of recruitment.
- For Power lifting: Sports achievements in the events conducted by the Indian Power lifting Federation (IPF) or any of its affiliated units after 03.10.2017 shall not be considered for purpose of recruitment. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievements in the game of Power lifting will be permissible.
- The sports achievements in the events conducted by Archery Association of India or its affiliated units shall not be considered for recruitment.

2. योग्यता मापदंड–

2.1 आयु सीमाः–दिनांक 01–07–2021 को 18 से 25 वर्ष (कम आयु या ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट की अनुमति नहीं है).

2.2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	लेवल	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	पे मैट्रिक्स लेवल–2 और पे मैट्रिक्स लेवल–3	12वी–गैर तकनीकी पदो के लिए या 10 + आईटीआई –(तकनीकी पदो के लिए) या इसके समकक्ष. 10वी पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वे केवल टेक्नीशियन पदों (3 वर्ष की ट्रेनिंग के साथ) के लिए ही भर्ती किए जा सकते हैं।
2	पे मैट्रिक्स लेवल–4	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, या 1st year B.Sc. (भौतिकी) या 12 वी विज्ञान के साथ (गणित अथवा भौतिकी) या 12 वीं और आशुलिपि (रेलवे में भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में) के साथ आदि।
		Type of Stenographer: English – Speed (Words per minute) 80, Duration (Minutes) 10, Transcription time (minutes) 50 Hindi – Speed (Words per minute) 80, Duration (Minutes) 10, Transcription time (minutes) 65
3	पे मैट्रिक्स लेवल–5	एक विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष.

Type of Stenographer	Speed (Words per minute)	Duration (Minutes)	Transcription time (minutes)
English	80	10	50
Hindi	80	10	65

नोटः (i) उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक एवं स्पोर्ट्स योग्यता आवेदन के समय प्राप्त कर लेनी होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गयी योग्यता मान्य नहीं होगी।

(ii) उपरोक्त वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार कोई छूट मान्य नहीं है.

(iii) व्यक्तियों, यदि क्लर्क–कम–टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें नियुक्ति की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर अंग्रेजी मे 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग करने में दक्षता हासिल करनी होगी और तब तक उस कोटि के लिए उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी.

(iv) चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव के समय पोस्टिंग का स्थान निर्धारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाएगा.

2.3 भर्ती के लिए खेल के मापदंड : –

2.3.1 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का वर्गीकरण : –

कोटि – ए :	ओलंपिक खेल (सीनियर वर्ग).
कोटि – बी :	विश्व कप (जूनियर /युवा/ सीनियर वर्ग). विश्व चैंपियनशिप (जूनियर /सीनियर वर्ग). एशियाई खेल (सीनियर वर्ग). राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर वर्ग). यूथ ओलंपिक, डेविस कप (टैनिस). चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी), थॉमस कप / उबेर कप.
कोटि – सी :	कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर कैटेगरी). एशियन चैंपियनशिप / एशिया कप (जूनियर / सीनियर कैटेगरी). साउथ एशियन फेडरेशन (एसएएफ) गेम्स (सीनियर कैटेगरी). यूएसआईसी (वर्ल्ड रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर कैटेगरी). वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स.

2.3.2. विभिन्न ग्रेड पे और पे बैंड में खुली विज्ञापन के माध्यम से खेल कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों के भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मापदंड, टीम और व्यक्तिगत दोनों विधाओं के लिए निम्नानुसार होंगे :

क्र.	पे/बैंड/स्केल का नाम	ग्रेड पे	भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मापदंड
1	लेवल–4 एवं 5	2400/- या 2800/-	ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो (श्रेणी–ए) या किसी भी श्रेणी–बी चैंपियनशिप / खेल में कम से कम तीसरा स्थान, जैसा कि ऊपर पैरा 2.3.1 में वर्गीकृत किया गया है.
2	लेवल–2 एवं 3.	1900/- या 2000/-	किसी श्रेणी–बी चैंपियनशिप /खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या श्रेणी–सी चैंपियनशिप / खेलों में से किसी में कम से कम 3 स्थान या सीनियर /यूथ /जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 3 स्थान या भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के तत्वावधान में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में कम से कम 3 स्थान या फेडरेशन कप चैंपियनशिप में पहला स्थान (सीनियर वर्ग) प्राप्त किया हो.

नोट : (i) उपर्युक्त सभी चैम्पियनशिप मान्यता–प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेल संघ और साथ ही, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित होना चाहिए.

(ii) भर्ती न्यूनतम वेतनमान के लिए होगी.

(iii) जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में खेल उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए केवल नीचे दिए गए आयु वर्ग पर ही विचार किया जाएगा.

(iv) आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं स्पोर्ट्स संबंधी सर्टिफिकेट जो आवेदन फार्म के साथ लगाए जायेंगे, केवल वे ही सर्टिफिकेट भर्ती हेतु विचार किए जाएंगे। बाद में कोई भी सर्टिफिकेट जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

कुछ खेलों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियां / न्यूनतम खेल मानदंड :

2.3.3 एथलेटिक्स में : राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीत प्रदर्शन पर भी लेवल 2 (ग्रेड पे रु. 1900/–) के पदों पर भर्ती हेतु विचार किया जा सकता है. ओपन नेशनल चैंपियनशिप (सीनियर), अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप (सीनियर) तथा एशियन चैंपियनशिप (सीनियर) में स्वर्ण पदक विजेताओं को लेवल– 4/5 में भर्ती हेतु विचार किया जा सकता है.

2.3.4 In Golf-

For recruitment against the posts having Grade Pay Rs.1,900 or Rs.2,000 in Pay Band Rs.5,200-20,200: sportsperson having I.G.U. ranking upto 60; subject to single handicap i.e. less than 10 (in order of Merit/Amateur Merit list) shall also be eligible for recruitment. Only the current Annual All India Ranking shall be considered for these purposes.

The highest ranking in the year of recruitment may be considered for the purpose.

The players may be allowed to play in professional tournaments only after completing 5 years after their recruitment after taking NOC from RSPB.

3. भारतीय रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा से खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरएसपीबी द्वारा मान्यता–प्राप्त जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप की सूची :

क्र.	खेल	श्रेणी	मान्यता–प्राप्त जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का विवरण	
			आयु वर्ग	चैम्पियनशिप का नाम
1	एथलेटिक्स	पुरुष	अंडर–20	जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप.
		महिला	अंडर –20	
2	तीरंदाजी	पुरुष/महिला	अंडर –19	जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैम्पियनशिप
3	बास्केटबॉल	महिला	अंडर –18	जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप
4	बॉक्सिंग	महिला	अंडर –17	जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप
5	क्रॉस कंट्री	पुरुष/महिला	अंडर –20	जूनियर नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप
6	फुटबॉल	पुरुष	अंडर –19	जूनियर नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप बी सी रॉय ट्रॉफी हेतु
7	खो–खो	पुरुष	अंडर –19	जूनियर नेशनल खो–खो चैम्पियनशिप
8	गोल्फ	पुरुष	अंडर –18	जूनियर एवं सब जूनियर नेशनल गोल्फ चैम्पियनशिप
9	हैंडबॉल	महिला	अंडर–19	जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप
10	पावर लिफ्टिंग	पुरुष	अंडर–23	जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप
11	वेट लिफ्टिंग	महिला	अंडर–20	जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप

नोट : पात्रता पर विचार करने के लिए वर्तमान एवं पिछले दो वित्तीय वर्षों की खेल उपलब्धियों को लिया जाएगा. इस प्रकार केवल 2018–2019 या उसके बाद की तारीख (01.04.2018 एवं उसके बाद) की खेल उपलब्धियों पर ही विचार किया जाएगा.

4. चयन पद्धतिः

(i) चयन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा. अंकों का वितरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
ए.	खेल कौशल, शारीरिक दक्षता और परीक्षण के दौरान कोच के अवलोकन के लिए	40 अंक
बी.	मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के आकलन के लिए	50 अंक
सी.	शैक्षणिक योग्यता	10 अंक
	कुल	100 अंक

(ii) उम्मीदवारों के खेल प्रदर्शन और रेलवे/यूनिट टीम के साथ–साथ भारतीय रेलवे की टीम के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए उम्मीदवारों का परीक्षण (ट्रायल्स) किया जाएगा। अगले चरण हेतु विचार करने के लिए ट्रायल कमिटि उम्मीदवारों के फिट या नॉट फिट के संदर्भ में अपनी सिफारिश देगी। जो उम्मीदवार ट्रायल्स में कम से कम 25 अंक प्राप्त करेंगे, वे ही फिट घोषित होंगे एवं अगले चरण हेतु योग्य होंगे।

(iii) चयन प्रक्रिया

इसमें चयन खेल ट्रायल्स में किये गये प्रदर्शन एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर किया जाएगा तथा इसे नामित चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा. ट्रॉयल्स एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पात्र उम्मीदवारों को केवल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। विभिन्न ग्रेड पे के लिए ट्रॉयल्स पृथक –पृथक किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण का उल्लेख करते हुए निरस्त अथवा संशोधित करने का अधिकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के पास सुरक्षित है।

5. फीसः (i) **Rs.500** (Rupees five hundred) only for all (except the categories exempted for fee relaxation) with the provision for refunding Rs 400 after deducting bank charges to those eligible candidates who appears in the trial.

(ii) Rs. 250 (Rupees two hundreds fifty) for candidates belonging to SC/ST communities, Women, minorities and Economically backward classes with the provision for refunding full amount after deducting bank charges to those eligible candidates who appears in the trial.

6. सामान्य शर्तें :

(i) पे मैट्रिक्स, लेवल –2 और लेवल –3 पदों के लिए योग्यता रखने वाले उम्मीदवार; लेवल–4 और लेवल–5 (ग्रेड पे रु. 2400/2800/–) के नोटिफाइड पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यदि लेवल–4 और लेवल–5 (ग्रेड पे रु. 2400/2800/–) के लिए कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तभी उन पदों के लिए लेवल–2 और लेवल–3 (ग्रेड पे रु. 1900/ 2000/–) के पदों की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उन्हें लेवल–2 और लेवल–3 (ग्रेड पे रु. 1900/ 2000/–) में ही भर्ती किया जाएगा.

(ii) चयन होने पर उम्मीदवारों को आबंटित पदों पर नियुक्ति देने के पूर्व रेल चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा कराना होगा.

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को ट्रॉयल्स पर बुलाय जाता है तो उन्हें द्वितीय श्रेणी का निःशुल्क यात्रा प्राधिकार दिया जाएगा.

(iv) चयन एवं ट्रायल्स में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता /मंहगाई भत्ता, रहने की सुविधा मुहैया नहीं कराया जाएगा. उम्मीदवार को चाहिए कि वे ट्रायल स्थान में 2–3 दिन ठहरने के हिसाब से तैयार रहें. वे अपने स्वयं की स्पोर्ट्स सामग्री/उपकरण एवं ठहरने की सुविधा स्वयं करेंगे.

(v) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तुरंत उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर ट्रायल्स हेतु बुलाया जा सकता है, अतः वे तैयार रहें।

(vi) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किसी भी मापदंड को पूरा नही करने पर आवेदन निरस्त होने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे.

(vii) चयन हुए उम्मीदवारों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के किसी भी स्थान पर तैनात किये जा सकेंगे.

(viii) मैरिट आधार पर ही चयन किया जाएगा. एक से अधिक खिलाड़ी एक ही अंक प्राप्त करते हैं तो उनमें से नवयुवा उम्मीदवार को मैरिट में गिना जाएगा.

(ix) खिलाड़ियों के रूप में उन्हें ही विचार किया जाएगा जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेलकूद संघ में उपयुक्त हो सकते हैं.

(x) रेल प्रशासन भर्ती की किसी भी सोपान को परिवर्तन करने या भर्ती प्रक्रिया के किसी हिस्से या संपूर्ण को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है.

(xi) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ियों की सेवा को उस स्थिति में समाप्त कर दिया जाएगा जब उनके द्वारा किसी भी अवस्था में भर्ती के लिए प्रस्तुत किये गये किसी सूचना और दस्तावेज में गलत/नकली पाया जाता है.

(xii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ियों 5 साल की अवधि के लिए "सेवा बॉण्ड (बंधपत्र) निष्पादित करना होगा.

(xiii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ी 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन में रहेंगे. प्रोबेशन अवधि की समाप्ति के पूर्व खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी.

(xiv) उच्च वेतन मैट्रिक्स स्तर (ग्रेड पे) हेतु खेल संबंधी प्रमाण रखने वाले खिलाड़ी जो कम वेतन मैट्रिक्स के लिए

(क्रमशः)

रिक्तियों के लिए आवेदन दिया हैं, को केवल उसी पे मैट्रिक्स लेवल के अंतर्गत भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है. ऐसे मामलों में खिलाड़ियों को यह वचनबंध निष्पादित कर देना होगा कि वह रेलवे में ज्वाइन करने के बाद, रेलवे में भर्ती होने से पहले अर्जित की गई खेल उपलब्धियों के आधार पर रेलवे में शामिल होने के बाद उच्च वेतन स्तर के लिए दावा नहीं करेगा. चयन के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा. चयनित नहीं हुए उम्मीदवार के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही रेल प्रशासन किसी डाक सुपुर्दगी अथवा गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. किसी भी रूप में इसका प्रचार–प्रसार करना उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जाएगी.

(xv) **ट्रायल्स के पूर्व, उम्मीदवारों की identity एवं समस्त प्रमाण पत्रों की समिति द्वारा जांच की जाएगी। समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा ट्रायल्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा।**

(xvi) कोई भी पद विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है.

(xvii) शासकीय अथवा पब्लिक सेक्टर में कार्यरत आवेदक अपने एम्प्लोयेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(xviii) **खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं अपडेट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in का अवलोकन करते रहें.**

7. किसे / कैसे आवेदन करें :

उपरोक्त पदों के लिए भर्ती हेतु केवल ऑन लाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट में (www-secr-indianrailways-gov-in→Recruitment →RRC Bilaspur →Sports Quota 2020–21) लिंक पर 'How to Apply' में दिये गए निर्देशों का पालन करें। **खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं अपडेट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उक्त वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें.**

8. अनुलग्नक को अपलोड किया जाना :

ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुति करने के समय उम्मीदवार को चाहिए कि वे अपेक्षित दस्तावेजों जैसे जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्पोर्ट्स योग्यता आदि की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें तथा इसमें अपिव प्रमाणपत्र (अनुलग्नक ए) तथा अपिव घोषणा पत्र (अनुलग्नक बी), अनुसूचित जाति / जनजाति उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक सी) अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय घोषणापत्र (अनुलग्नक डी) ईसीबी प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र (अनुलग्नक ई), वर्ष 2018–19, 2019–2020 एवं 2020–21) के दौरान अर्जित विभिन्न स्तरों के खेलकूद उपलब्धियों के प्रमाणपत्र, उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर शामिल है.

नोटः– 1. आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं स्पोर्ट्स संबंधी सर्टिफिकेट जो आवेदन फार्म के साथ लगाए जायेंगे, केवल वे ही सर्टिफिकेट भर्ती हेतु विचार किए जाएंगे। बाद में कोई भी सर्टिफिकेट जोड़ने की अनुमति नही होगी।

2. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ स्पष्ट होने चाहिए। यदि Blur (धुंधले) सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं तो आवेदन अमान्य कर दिये जाएंगे।

9. अमान्य आवेदनः

निम्नलिखित में से कोई भी कमियां / विसंगति / अनियमितता होने पर आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगाः

i) उचित तरीके से स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना आवेदन। (श्वेत श्याम फोटो नहीं, साइड पोस्चर वाली फोटो नहीं, या धूप का चश्मा या टोपी नहीं।) फोटो सफेद पृष्ठभूमि में और 80 % चेहरे के साथ होना चाहिए.

ii) निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, खेल उपलब्धियों, जाति प्रमाण पत्र (अपिव /अजा / अजजा / अपिव घोषणा) के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन. (उम्मीदवारों के पास अधिसूचना की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शिक्षा और खेल उपलब्धियां होनी चाहिए।)

iii) एक इवेंट के लिए एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन.

iv) हाथ से भेजे गए आवेदन; (ऑनलाइन जमा नहीं किया गया).

v) कोई अन्य कथित अनियमितता .

vi) **उचित फीस के बिना आवेदन.**

vii) **स्पष्ट सर्टिफिकेट के बिना आवेदन.**

अधिसूचना में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना मान्य होगी.

सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

ANNEXURE –"A"

OBC CERTIFICATE FORMAT

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is certified that Shri/Smt./Kumari .... Son/Daughter of .... of Village/Town .... in District/ Division .... in the State/Union Territory .... belong to the .... community which is recognized as Backward Class by the Government of India, Ministry of Social justice and Empowerment's Resolution No. .... dated ....*.

Shri/Smt./Kumari .... and/or/his/her family ordinarily reside(s) in the .... District/Division of the .... State union Territory . This is also to certify that he/she/ does not belong to the person/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993 and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017**

Date:

DISTRICT MAGISTRATE /
DY. COMMISSIONER ETC.

* The authority issuing the certificate may have to mention the detail of resolution of Government of India , in which the caste of the candidates is mentioned as OBC

* As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

ANNEXURE –"B"

DECLARATION

Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates at the time of practical demonstration and document verification, who had applied for the post against

Employment Notification No.______________ (Sports Quota for the year 2020-21)

"I,..son/daughter of Shri .... resident of village/town/city .... District .... State .... hereby declare that I belong to the .... (indicate your sub caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office memorandum No. 36012/22/93-Est.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.03.1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017.

Date: Signature of the Candidate
Place: Name of the Candidate

ANNEXURE –"C"

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/ Smt./ Kumari* ....son/daughter* of .... Village/Town................................ District/Division* .... of the of State/Union Territory* .... belongs to the .... Caste*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:-

*The Constitution (Scheduled Caste) order, 1950.
*The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950.
* The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) (Part C States) order, 1951;
*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) order, 1951;
*[As amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Lists (Modification), Order, 1956 the Bombay Re-organization Act 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Re-organization) Act, 1971, and the Scheduled caste and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976].
* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Orders, 1956.
*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act , 1976.
*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
* The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
* The Constitution Scheduled Tribes (Utttar Pradesh) order, 1967.
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
* The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
* The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978.
*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Orders, 1989.
* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990.
* The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
* The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in case of Schedule Caste/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt.* .... father/mother* of Shri/Smt./Kumari .... of Village/Town* .... in District/Division* .... of the State/Union Territory* .... who Belongs to the .... Caste*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the Station/ Union Territory* issued by the.. dated................................

3. Shri/Smt./Kumari* .... and /or* his/her* family ordinarily resides in Village/Town* .... District/ Division* .... of the State/ Union Territory* of ....

Signature____________________
Designation____________________
(with seal of Office)
State/Union Territory____________________

Place____________________
Date____________________

*Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote the specific presidential order.
% Delete the Paragraph, which is not applicable.

Note : The term "ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate /City Magistrate / Sub- Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate) 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officers not below the rank of Tahsildar. 4. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his/ her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator /Secretary to Administrator (Lakshadweep, Minicoy and Andaman islands).

अनुलग्नक–"डी"

घोषणा पत्र

रोज़गार अधिसूचना सं. .... (खेल कोटा) के लिए परीक्षा शुल्क में आंशिक छूट हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा

"मैं, ... पुत्र / पुत्री श्री .... ग्राम / शहर .... जिला .... राज्य .... का निवासी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं .... समुदाय के अंतर्गत आता हूँ। (कैंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / जोरास्ट्रियन (पारसियों) को इंगित करें।

दिनांकः उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थानः उम्मीदवार का नाम

नोटः परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क की माफी का दावा करने के लिए गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है (अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / ज़ोरास्ट्रियन (पारसी)।

अनुलग्नक –"ई"

ईबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र

रोज़गार अधिसूचना सं. .... (खेल कोटा) के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा

1. उम्मीदवार का नामः ....
2. पिता का नामः ....
3. आयुः ....
4. आवासीय पताः ....
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में): ....

दिनांकः हस्ताक्षरः
नाम : जारीकर्ता प्राधिकरण की मुहरः

नोटः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 / –रु. से कम है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर का कोई अन्य राजस्व अधिकारी. (2) लोकसभा का वर्तमान सांसद सदस्य अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए (3) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्ज़त एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री देश के किसी भी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष / आरआरसी को सिफारिश कर सकते हैं (5) राज्य सभा के वर्तमान सांसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिस जिले में ये सांसद रहते हैं.

72वां गणतंत्र दिवस

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

Rajiv@75

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

विविधता में एकता की शान

हमारा गणतंत्र हमारा अभिमान

विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलने वाले हमारे गणतंत्र पर हमें गर्व है।

आइये, इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेश के हर वर्ग के स्वास्थ्य की मंगलकामना करें।
कोरोना महामारी से बचाव के उपायों को अपनाते हुए आगे बढ़ें एवं प्रदेश की तरक्की में अपना हर संभव योगदान करने का संकल्प लें।

समस्त प्रदेशवासियों को
72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं..

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

- कोविड-19 टीकाकरण में भी राज्य को मॉडल बनायेंगे
- यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है
- अन्य गाईडलाईन्स आने तक पहले की तरह ही सावधानियां अपनायें

राजस्थान संवाद

रा.रो.सं 05/2021

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राष्ट्रभाषा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

राष्ट्रीय विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में **शिक्षा** की अत्यंत प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा द्वारा ही समाज की व्यवस्था में परिवर्तन और परिमार्जन करने में सफलता मिलती है यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा से योग्य विद्यार्थी समाज के भावी नागरिक के रूप में तैयार किये जायें, ताकि वे समाज के स्तर को उठाने में सक्षम हो। इसके लिए दृढ़ एवं व्यावहारिक शिक्षा नीति होना आवश्यक है। शिक्षालयों में शिक्षा को उपयोगी बनाने वाली प्रविधियों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, जिससे छात्र शिक्षा के प्रति सचेत हो तथा अपनी शैक्षिक रूचियों एवं अभिवृत्तियों का विकास कर सकें।

इसके लिए सभी विद्यालयों में मातृभाषा शिक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाता है। जिससे शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित द्वि-भाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालकों को तीन भाषाएँ पढाई जाती है- **हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी।**

हिन्दी का शब्दिक अर्थ है हिन्द का और हिन्द शब्द बना है **संस्कृत के सिंधु से - सिंधु-हिन्दु-हिन्द।** संस्कृत का सिंधु फारसी में हिन्दु हो गया है। अतः मूलतः सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिन्दु कहा, उस भूभाग को हिन्द कहा और उनकी भाषा हिन्दी बतलाई।

अहिन्दी भाषा प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा द्वितीय भाषा के रूप में होती है। इसका उद्देश्य बालकों में भाषा कौशल को विकसित करना है। अर्थात् सुनकर समझना हिन्दी में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करना, हिन्दी में लिखित सामग्री को समझते हुए पढ़ना और हिन्दी में अपने विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करना।

राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा क्रम में इसे अनिवार्यता प्रदान की गई है।

भाषा का महत्वः-

भाषा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा, विचार में सम्प्रेषण का माध्यम है। जिसकी सहायता से प्रयोजन की सिद्धि हेतु कार्य किया जाता है और वह प्रयोग के संदर्भ एवं परिस्थिति में अर्थग्रहण करता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाषा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है- भाषा राष्ट्र के आकाश का पवन प्रवाह है जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करता बल्कि राष्ट्र के सौरभ को भी देशों-दिशाओं में प्रसारित करता है।

हमारे देश में जितनी भी भाषाएँ प्रचलित है उनमें सर्वाधिक गौरवपूर्ण स्थान हिन्दी को ही प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा में अब तक 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है। परन्तु प्रश्न यह उपलब्ध होता है कि किसी भाषा को बस भाषाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

भारतीयों, मनीषियों, विचारकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रीयता के उन्नयकों ने अनेक विशेषताओं तथा सर्वाधिक राष्ट्रव्यापी जन भाषा के आधार पर हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव प्रदान किया और संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा को मान्यता मिली। अतः हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है **'हिन्दी'**।

राष्ट्रभाषा राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली, उसमें अस्मिताबोध जगाने वाली संजीवनी है।

स्वतंत्रता से पूर्व हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। स्वतंत्रता की चेतना जाग्रत करने के लिए समाज सुधारकों ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने में अपनी शक्ति लगाई जिससे स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया हिन्दी पाठ्यक्रम में समाविष्ट अन्य विषयों की भांति एक विषय ही नहीं है बल्कि सभी विषयों के ज्ञानार्जन और शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम भी है।

हमारे देश में शिक्षा मुख्यतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा के बाद माध्यम की दृष्टि से हिन्दी भाषा का अधिक महत्व नहीं रहता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों में निरंतर इस भावना की वृद्धि हो रही है। वहाँ भी केवल हिन्दी विषयों की शिक्षा हिन्दी माध्यम से होती है, शेष विषयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

इस समस्या को देखते हुए **कोठारी कमीशन रिपोर्ट (1964-66)** पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केरल सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर मांग की थी कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा का अध्ययन **'पुस्ताकालयी भाषा'** के रूप में तो अवश्य किया जाए पर अंग्रेजी या अन्य किसी भी विदेशी भाषा को माध्यम ना बनाया जाए शिक्षा के माध्यम के रूप में सारे देश में हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

हिन्दी पूरे देश की सम्पर्क भाषा है औ इस रूप में इसकी अनेक शैलियाँ है। **यह केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में काम-काज की भाषा भी है।**

पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था - हिन्दी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्र भाषा बनने की योग्यता रखती है।

हिन्दी मातृभाषा तो है ही, भारत की राष्ट्रवाणी भी है, ऐसी वाणी जो राष्ट्र की आत्मा, व्यक्ति और उसे विचारों तथा सरकारों की प्रवाहिका है। हिन्दी के वट वृक्ष ने अपनी शीतल छाया अन्य भाषाओं को प्रदान की है।

राष्ट्रवाणी हिन्दी गुरूनानक, अमीर खुसरो, जायसी रहीम, रसखान की भी भाषा है। हिन्दी किसी धर्म विशेष सम्प्रदाय की भाषा नहीं है यह समस्त भारत की भाषा है।

माध्यमिक कक्षा का चयन इसलिए किया गया है कि विद्यार्थी अपनी आयु एवं योग्यता के आधार पर हिन्दी भाषा के प्रति अपनी अभिवृत्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें और इस स्तर तक आकर ही छात्र-छात्राओं में भाषा कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना-लिखना आदि का सही विकास होता है तथा अभिवृत्तियों एवं रूचियों का भी विकास संभव हो पाता है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में बाह्य तथ्य, वस्तुओं, विचारों तथा घटनाओं के प्रति कुछ निश्चित धारणाएँ विकसित कर लेता है इन धारणाओं के कारण ही व्यक्ति किसी को पसन्द करते है तो किसी को देखकर खुशी से झूम उठते है तो किसी को देखकर घृणा से मुँह सिकोड़ लेते है।

थर्स्टन के अनुसार - 'कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी है।'

अभिवृत्तियों से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति संस्था, वस्तु या प्रक्रिया के प्रति अनुकूल एवं प्रतिकूल सकारात्मक एवं नकारात्मक विचारों को व्यक्त करने से है।

फीमैन के अनुसार - अभिवृत्ति किसी निश्चित परिस्थितियों में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप में प्रत्युत्तर देने वाली यह स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक रीति बन जाती है।

अभिवृति मापनी में कथनों को मात्राओं के अंतर से प्रस्तुत किया जाता है तथा इस प्रकार उस व्यक्ति की उन कथनों के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात किया जाता है।

अभिवृति किसी वस्तु या प्रक्रिया के प्रति व्यक्ति की स्वाभाविक तत्परता है। इसका स्वरूप स्थायी एवं एक रूप होता है। यह सदैव परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति की विशिष्ट दिशा को निर्देशित करती है। किसी व्यक्ति - वस्तु संबंध की ओर संकेत करती है। प्रायः भाव एवं संवेगों से सम्बंधित होती है। यह अनुभवों के आधार पर अर्जित की जाती है तथा वस्तुओं, मूल्यों एवं व्यक्तियों के सम्बंध से सीखी जाती है। इनके विकास में प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक तत्व सहायक होते हैं। ये सामान्य रूप (वर्ग के प्रति) एवं विशिष्ट (व्यक्ति के प्रति) दोनों ही प्रकार की होती है। इनका सम्बंध व्यक्तित्व के वृहत् पक्षों बुद्धि, मानसिक, प्रतिभा एवं शाब्दिक विचारों से होता है।

ये व्यवहार को प्रभावित करती है अतः एव एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का दूसरे व्यक्ति की अभिवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है इसलिए ये व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अंकन करने में भी सहायक होती है।

कोई भी विषय जब पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर रखा जाता है परन्तु हिन्दी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ भारत में बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा भी है। अतः इसका अध्ययन-अध्यापन करने-कराने के साथ-साथ यह देखना भी आवश्यक है विद्यार्थी हिन्दी ने विषय को कितना और किस रूप में इसका प्रस्तुतीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे।

विषय को विद्यार्थियों को पढ़ाते समय यह भी ज्ञात करना आवश्यक है कि इसके प्रति विद्यार्थियों का क्या दृष्टिकोण है, वे इसमें कितनी रूचि से पढते है या फिर मात्र परीक्षा में पास होने के लिए ही पढ़ना आवश्यक समझते है।

राष्ट्रभाषा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों में अलग-अलग प्रकार से पाई जाती है। राष्ट्रभाषा के प्रति इन विद्यार्थियों की अभिवृति में भी अंतर है।

हिन्दी हमारी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है। हिन्दी सम्पर्क भाषा है। जो न्याय की भाषा भी है, प्रादेशिक भाषा है। अतः शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिये। हिन्दी भारतीय संस्कृति की भाषा है।

हिन्दी आसानी से बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा से कुछ तकनीकी विषयों की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

हिन्दी भाषा से विनम्रता आती है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने से प्रादेशिकता की भावना बढ़ेगी। हिन्दी विज्ञान की भाषा है। **हिन्दी सुसंस्कृत भाषा नहीं है बल्कि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा है।**

'हिन्दी' फिल्मी मनोरंजन की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है।

हिन्दी वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के ज्ञान में सहायक नहीं है। संविधान में सभी भाषाओं का समान महत्व है। हिन्दी भाषा में सर्वाधिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं।

भाव प्रकट करने का सरलतम साधन है, हिन्दी।

हिन्दी तकनीकी भाषा है। विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्ति पाई जाती है। बालकों में विषय की ग्राह्यता को विकसित करने के लिए समय-समय पर हिन्दी विद्वानों, साहित्यकारों के भाषणों, टेप किए हुए कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विचार गोष्ठियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठियाँ आदि की भी व्यवस्था करवाई जानी चाहिये।

प्रज्ञा शर्मा
शोधकर्ता

नालको NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी, कोरापुट-763 008, ओडिशा, भारत
(CIN: L27203OR1981GOI000920)
एक नवरत्न कंपनी

खनन मित्र / फोरमैन खनन की भर्ती

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), एक नवरत्न कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संकुल है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी है, जिसकी वर्तमान में कुल आय लगभग रु. 8426 करोड़ है। कंपनी भारत एवं विश्व भर में अत्यधिक विकास एवं विस्तार के लिए अग्रसर है। कंपनी को निर्यात के क्षेत्र में प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस का दर्जा भी प्राप्त है जिसने अपने हितधारकों के महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। कंपनी का निगम कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा होने के साथ संयंत्र और कार्यालय बहु-स्थानीय हैं। कंपनी सक्षम मानव संसाधनों और "लोक केंद्रित" दृष्टिकोण वाले अभ्यासों के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में विश्वास करती है।

धातु और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु,खान एवं परिशोधन संकुल, नालको, दामनजोड़ी, निम्नलिखित अनुशासन और पद के लिए प्रतिबद्ध, होनहार और परिणाम उन्मुख अभ्यर्थियों की तलाश में है:

ए. पदों का विस्तार विवरण:

क्र. सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	अपेक्षित योग्यता	अनुभव (वर्ष में)	प्रेरण स्तर	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
01	खनन मित्र	18 (अ.जा. -3, अ.पि.व. - 4, आ.क.व.-1, अना.-10)	अभ्यर्थी के पास अवश्य एचएससी होना चाहिए और डीजीएमएस द्वारा संचालित वैध खनन मित्र दक्षता प्रमाणपत्र (प्रतिबंधित विवृत धातुमय खान) होना चाहिए। वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी	अनुभव की आवश्यकता नहीं	टी 0 श्रेणी में स्थानन से पूर्व 12 माह के लिए एसयूपीटी और 18 माह के लिए जेओटी	27 वर्ष
				2 वर्ष	टी 0	35 वर्ष
				5 वर्ष	टी 1	38 वर्ष
				8 वर्ष	टी 2	41 वर्ष
02	फोरमैन खनन	08 (अ.जा. -1, अ.पि.व.-2, अना. -5)	अभ्यर्थियों को डिप्लोमा इन माईनिंग इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होना चाहिए और डीजीएमएस द्वारा वैध खनन फोरमैन दक्षता प्रमाणपत्र भी होनी चाहिए	अनुभव की आवश्यकता नहीं	एस 0 श्रेणी में स्थानन से पूर्व 12 माह के लिए एसयूपीटी और 18 माह के लिए एसओटी	28 वर्ष
				2 वर्ष	एस 0	40 वर्ष
				5 वर्ष	एस 1	43 वर्ष
				8 वर्ष	एस 2	46 वर्ष

बी. महत्वपूर्ण टिप्पणी

1. उपरोक्त उपयोग की गई संक्षिप्तता अ.जा. (अनुसूचित जाति), अ.पि.व. (अन्य पिछड़ा वर्ग), आ.क.व. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), अना. (अनारक्षित), अ.ज.जा.(अनुसूचित जन जाति), भू.पू.सै. (भूत पूर्व सैनिक) के लिए है।
2. योग्यता केंद्रीय / राज्य सरकार (जहां भी लागू हो) द्वारा स्थापित यूजीसी / एआईसीटीई / एनसीटीवीटी / एससीटीई और वीटी जैसे निकायों / संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। इसमें न्यूनतम आवश्यक योग्यता, कॉलम के तहत मैट्रिक / समकक्ष शामिल होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऊपर उद्धृत निर्धारित अर्हता, अनुभव, आयु इत्यादि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त नहीं की है,आवेदन न करें।
4. अभ्यर्थियों के पास वैध रोज़गार विनिमय पंजीकरण कार्ड होना चाहिए।

सी. परिलब्धियाँ एवं अन्य लाभ

जहां तक कंपनी लागत (कॉस्ट टू कंपनी) की बात है, कंपनी विकास पर केंद्रित एक पेशेवर प्रबंधित संस्थान है जिसमें योग्यता-उन्मुख उन्नति के अवसर के साथ कंपनी धन और सुविधाओं के रूप में एक शानदार पैकेज प्रदान करती है:

❖ एसयूपीटी (जेओटी) पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी :

i. स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (जेओटी /एसओटी) पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग से गुजरना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें प्रतिमाह 12000/- का वजीफा दिया जाएगा।

ii.एसयूपीटी के एक वर्ष के सफल समापन के बाद, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (जेओटी) / सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (एसओटी) को 18 महीने की अवधि के लिए शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीनों के लिए रु.15000/- प्रतिमाह और शेष छ: माह के प्रशिक्षण के लिए रु.15500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।

iii.प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (कंपनी के अंदर व बाहर) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

iv.सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें टी 0 ग्रेड में नियमित रोज़गार में स्थानन के लिए रु. 29500-3% -70000/- के वेतनमान के साथ-साथ नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलब्धियों के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा।

v.कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।

❖ एसयूपीटी (एसओटी) पद के लिए चयनित उम्मीदवार:

i.स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (एसओटी) के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें प्रतिमाह 12000/- का वजीफा दिया जाएगा।

ii.एसयूपीटी के एक वर्ष के सफल समापन के बाद, 18 महीने की अवधि के लिए सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी (एस ओटी) को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उन्हें पहले 12 महीनों के लिए रु 16000/- प्रतिमाह और शेष छह महीनों के प्रशिक्षण के लिए रु. 16500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।

iii.प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे केवल नालको अस्पताल में स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा (कंपनी के अंदर व बाहर) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

iv.सफल प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें एस 0 श्रेणी में 36500-3%-115000/- वेतनमान के साथ नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सभी परिलब्धियों के लिए भी शामिल कर लिया जाएगा।

v.कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू होंगे।

❖ एसयूपीटी (जेओटी) /एसयूपीटी(एसओटी) के अलावा अन्य पद के लिए चुने गए उम्मीदवार

एसयूपीटी (जेओटी) / एसयूपीटी (एसोटी) के अलावा अन्य पदों के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमानुसार नियमित कर्मचारियों के रूप में मिलने वाले लाभ जैसे कि छुट्टी, कैंटीन भत्ता, रात्रि पाली भत्ता, प्रोत्साहन, परिवहन सब्सिडी, कंपनी आवास या मकान किराया भत्ता, जीआईएस, अंशदायी भविष्य निधि और उपदान के साथ निम्नलिखित श्रेणी और वेतनमान में रखा जाएगा:

पदनाम	श्रेणी	वेतन मान
खनन मित्र श्रेणी III	टी 0	रु.29500-3%-70000/-
खनन मित्र श्रेणी II	टी 1	रु.31500-3%-80000/-
खनन मित्र श्रेणी I	टी 2	रु.34000-3%-90000/-
कनिष्ठ फोरमैन (खनन)	एस 0	रु.36500-3%-115000/-
सहायक फोरमैन (खनन)	एस 1	रु.37200-3%-120000/-
फोरमैन (खनन)	एस 2	रु.37900-3%-125000/-

डी. चयन प्रक्रिया

❖ इस विज्ञापन में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आवेदनों की जाँच की जाएगी और पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एक संक्षिप्त सूची बध्द (शॉर्टलिस्ट) किया जाएगा।

❖ अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

❖ अभ्यर्थियों के चयन का आधार लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, संगठनात्मक आवश्यकता, पदानुशासन व आरक्षण के नियमानुसार किया जाएगा।

❖ विज्ञापन में दिए निर्देशों को पूरा करने से एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए, यह जरूरी नहीं है। मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए योग्यता और / या अनुभव के मानक को ध्यान में रखकर प्रबंधन न्यूनतम पात्रता मानकों / मानदंड को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ई. चिकित्सा योग्यता

कंपनी में अभ्यर्थी का अंतिम चयन, जिस पद के लिए उसका चयन हुआ है, कंपनी के चिकित्सा अधिकारी/ बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों चिकित्सा जांच के लिए जहां कंपनी का कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है, वहाँ एक अनुमोदित सरकारी अस्पताल/मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। कंपनी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एफ. स्थानन

परिवीक्षा अवधि के दौरान और/ या समाविष्ट के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को नालको में, भारत या विदेश या कहीं भी सहायक / संयुक्त उपक्रम/नालको के व्यावसायिक सहयोगियों में स्थानन व संस्थान की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनके क्षेत्र से संबंधित सेवा / कार्य / ज़िम्मेदारी सौंपे जा सकते हैं, जिसमें शिफ्ट ऑपरेशन भी शामिल है।

जी. आरक्षण एवं छूट

❖ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) / आकव/ दिव्यांग(विकलांगता की डिग्री 40% या अधिक) या भूतपूर्व-सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण/छूट, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होती है। कुल पदों की संख्या में वृद्धि या कमी के मामले में, आरक्षित श्रेणी के पदों की संख्या सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग होगी।

❖ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए आरक्षण प्रचलित नियमों के अनुसार क्षैतिज आधार पर होगा। यदि ईएसएम के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपयुक्त ईएसएम अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो ईएसएम के अलावा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी भरा जाएगा।

❖ आकव श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते है, बशर्ते वे यूआर श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

❖ दिव्यांग के लिए लागू आरक्षण / रियायतों के लाभ का दावा करने के लिए, अभ्यर्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 591 (ई) दिनांक 15.06.2017, दिव्यांग नियम, 2017 के नियमों के अध्याय- VII (नियम -17 से नियम -20) के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।अभ्यर्थियों को इस उद्देश्य के लिए दिव्यांग के लिए विशेष रोज़गार विनिमय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड अथवा सरकारी अस्पताल के 3 चिकित्सकों के पैनल द्वारा हस्ताक्षरित व मोहर लगा वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

❖ कार्य, स्थान आदि के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति पर विचार करने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुछ रिक्तियों की नियुक्ति की पेशकश की जाएगी और यह भी विचार किया जाएगा कि उनकी असमर्थता उनके प्रदर्शन के आड़े नहीं नहीं आए व उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान न पहुंचे। यद्यपि अंतिम नियुक्ति और स्थानन अभ्यर्थी के द्वारा उस चिन्हित पद के संबंध में चिकित्सा योग्यता के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए उनका चयन हुआ है।

❖ अजा/ अजजा / अपिव/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक / आकव की श्रेणी एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने के बाद नहीं बदला जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

❖ यदि अजा/ अजजा / अपिव/ दिव्यांग/ पूर्व सैनिक / आकव प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी के अलावा अन्य भाषा में जारी किए गए हैं, तो अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक की स्व-प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

❖ अपिव अभ्यर्थी जो "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, अपिव श्रेणी के लिए स्वीकार्य रियायत के हकदार नहीं हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को अनारक्षित (यूआर) के रूप में इंगित करना होगा। अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी एक सक्षम प्राधिकृत से भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र में इंगित जाति और समुदाय का नाम दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा, अपिव अभ्यर्थियों को यह कहते हुए एक स्व-अभिवचन देना होगा कि वे लिखित परीक्षा के समय अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी के हैं, यदि उन्हें बुलाया जाता है।

❖ आकव अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

❖ अजा/ अजजा के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, अपिव (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अनारक्षित (अना) के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी-अपिव (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 13 वर्ष की छूट दी गई है और पीडब्ल्यूडी-अजा/ अजजा

(क्रमशः)

अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष है। हालांकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 56 वर्ष है।

- ❖ पाँच वर्ष की आयु में छूट उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाई जाएगी, जिन्हें सामान्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक निर्वासित किया गया था। 1984 के दंगों में मारे गए लोगों /पूर्व सैनिकों और बच्चों / परिवार के सदस्यों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट मिलेगी।
- ❖ भूमि प्रभावित व्यक्तियों के मामले में जिनकी भूमि नालको परियोजना के लिए दामनजोड़ी में अधिग्रहित की गई है और उनके पास स्वयं या माता-पिता या दादा-दादी के नाम पर राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र है और उनके परिवार का कोई भी सदस्य अधिग्रहित की गई भूमि के खिलाफ नालको में रोजगार नहीं पाया है, तो संबन्धित आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वह योग्यता, अनुभव और आयु के मानदंडों को पूरा करता हो। विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन समाप्ति तिथि और अंतिम तिथि के अनुसार भूमि प्रभावित व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। भूमि प्रभावित अभ्यर्थियों को सरकारी प्राधिकृतों द्वारा जारी भूमि के दस्तावेजों सहित सभी सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें कानूनी वारिस/ उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, 50/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से नीचे दिए गए है, माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा नामित प्रत्याशी और भूमि के बीच संबंध और प्रत्याशी दिखाने की घोषणा, निर्धारित प्रारूप के अनुसार, यह सुनिश्चित करता है कि कौन सा अभ्यर्थी विचार योग्य है, शामिल है। दूसरी ओर, यदि अभ्यर्थी द्वारा सौंपे गए गए दस्तावेज़ अथवा घोषणा अथवा दी गई सूचना गलत अथवा किसी भी स्तर पर असत्य पाया जाता है अथवा तथ्यों को दबाने की बात सामने आती है तो उम्मीदवारी को बिना किसी सूचना या कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा

एच. आवेदन शुल्क

1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के लिए केवल रु.100/- (एक सौ रुपये) का भुगतान करना होगा।
2. अजा / अजजा / विकलांग /भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. अभ्यर्थी समर्पित बैंक खाते, नेट बैंकिंग या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। शुल्क किसी अन्य माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन शुल्क / पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आवेदन / पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता को सत्यापित करें और भुगतान विवरण को ध्यान से भरें।
5. आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि में आवेदन करने के दौरान आनेवाले अवरोधों से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को अग्रिम में अच्छी तरह से आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

आई. भुगतान कैसे करें

चरण 1:

- **www.nalcoindia.com** पर नालको के कैरियर पृष्ठ पर जाएं
- पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें।
- पात्र होने पर **"ऑनलाइन अप्लीकेशन "** लिंक पर क्लिक करें और फिर **भुगतान** के लिए **"मेकपेमेंट"** पर क्लिक करें ।

चरण 2:

- लिंक आपको भारतीय स्टेट बैंक के स्टेट बैंक कलेक्ट पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित कर देगा, जिसे नालको की ओर से आवेदन शुल्क / प्रक्रिया शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
- कॉर्पोरेट/ संस्थान के राज्य के तहत "ओडिशा" का चयन करें और कॉर्पोरेट / संस्थान के प्रकार के तहत "पीएसयू-सार्वजनिक क्षेत्र" चुनें।
- भुगतान श्रेणी का चयन करें और "नालको रिक्रूटमेंट फॉर माइंस मेट / फोरमैन माइंस" चुनें

  भुगतान पोर्टल पर आवश्यकतानुसार नाम, अनुशासन, श्रेणी, जन्म तिथि, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। सुनिश्चित करें कि पूरे पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एक ही ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर विवरण का उपयोग किया गया है।
- अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों के साथ अगला स्क्रीन-पुष्टि पृष्ठ प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले सत्यता सुनिश्चित करें। भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर आगे बढ़ने के लिए अब "कंफर्म" पर क्लिक करें। यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण के साथ शुल्क जमा करता है, तो नालको या एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपलब्ध विकल्प जैसे कि नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड में से किसी का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि नालको बैंक शुल्क वहन करेगा (यदि कोई हो, तो)।
- सफल भुगतान होने पर, पीडीएफ प्रारूप में एक ई-रसीद उत्पन्न की जाएगी। अभ्यर्थियों को एसबीआई संदर्भ संख्या के साथ ई-रसीद प्रिंट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संदर्भ संख्या को नोट करें क्योंकि अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया के चरण -3 के दौरान इसकी आवश्यकता होगी। स्टेट बैंक कलेक्शन में उपलब्ध विकल्प "पेमेंट हिस्ट्री" से ई-रसीद को बाद में बनाया / प्रिंट किया जा सकता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से वैध भुगतान विवरण के साथ आवेदन पत्र जमा नहीं करता है, तो आवेदन को अपूर्ण और अस्वीकृत माना जाएगा। नालको इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

चरण 3:

- भुगतान होने के बाद स्वयं को योग्य बनाने हेतु वेबसाइट के कैरियर पृष्ठ पर नालको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में अपेक्षित स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर और भुगतान की तारीख को भरना होगा।
- गलत विवरण प्रस्तुत करने के मामलों में भुगतान विवरणों के संपादन और बुलावा पत्र जारी करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

जे. आवेदन कैसे करें

- ❖ अभ्यर्थियों को नालको वेबसाइट **(www.nalcoindia.com)** के कैरियर सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। यदि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी को फिर से पंजीकरण करना आवश्यक है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को अपने हाल के पासपोर्ट आकार के रंगीन छायाचित्र और हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।
- ❖ यदि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, तो उसे ऑन-लाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित मूल प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों का लाना/ दिखाना होगा।
- ❖ डाउनलोड किए गए आवेदन (हार्ड कॉपी) के साथ अपने ऑन-लाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित छायाप्रति सहित पूर्ण आवेदन डाक द्वारा **"भर्ती सेल, खान एवं परिशोधन संकुल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामनजोडी, कोरापुट- 763008, ओडिशा"** में दिनांक **08.03.2021** तक अथवा इससे पूर्व पहुंचाना चाहिए।
  - ○ आवेदन को निर्धारित तिथि और समय के भीतर अपनी आयु, योग्यता, अनुभव, वेतनमान / मासिक वेतन / सी टीईई सी, आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित पते पर पहुंचाना होगा।
  - ○ आवेदन की केवल सॉफ्ट कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
  - ○ आवेदन की हार्ड कॉपी भेजते समय बंद लिफाफे के ऊपर आवेदन करने वाले पद का नाम, लिखा जाना चाहिए और केवल डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
  - ○ हाथ द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा सिस्टम त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारणों से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं करने पर नालको जिम्मेदार नहीं होगा।
- ❖ एक अभ्यर्थी से केवल एक पद के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- ❖ केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं।

के. सामान्य निर्देश

अ. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों को पूरा करता/ करती है। आवेदन जमा करने या विज्ञापित विनिर्देश को पूरा करने से पद के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता का हक नहीं बनता है। यदि वह (अभ्यर्थी) भर्ती / चयन /नियुक्ति के किसी भी चरण में दोष पूर्ण पाया जाता है अथवा अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और / अथवा उसने कोई गलत जानकारी दी है अथवा किसी भी तथ्य को छुपा लिया है तो/उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति स्वत: रूप से रद्द कर दी जाएगी, और उम्मीदवारी / नियुक्ति को शून्य माना जाएगा।

आ. आवेदन पत्र में उल्लिखित ई-मेल आईडी एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ भविष्य के सभी संचार केवल ई-मेल के माध्यम से होंगे। अमान्य / गलत आईडी के कारण या किसी अन्य कारण से ई-मेल / भेजे गए किसी अन्य संचार के किसी भी नुकसान / गैर-वितरण के लिए नालको जिम्मेदार नहीं होगा।

इ. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नालको की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** के कैरियर सेक्शन में नियमित रूप से नवीनतम अद्यतन के लिए जाएं क्योंकि कोई अलग से संदेश नहीं भेजा जाएगा।

ई. पीएसयू / किसी भी सरकार में काम करने वाले अभ्यर्थी को आम तौर पर उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए या लिखित परीक्षा के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र देना चाहिए। हालांकि, इस संबंध में असफल होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

उ. अभ्यर्थी द्वारा बुलावा पत्र के साथ मूल और वैध फोटो पहचान के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर उसे लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऊ. यदि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, तो उसे सत्यापन के लिए मूल के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को लाना/ दिखाना होगा :

- i. जन्म तिथि के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज (वैधानिक अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / अंक तालिका)।
- ii. भारत सरकार के निर्धारित सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में नवीनतम जाति / जनजाति प्रमाण पत्र [अजा/ अजजा / अपिव (एनसीएल) / आकव अभ्यर्थियों के लिए लागू]।
- iii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र और
- iv. भूतपूर्व सैनिक होने का साक्ष्य (भूतपूर्व सैनिक के मामले में)।
- v. योग्यता के संबंध में सभी प्रमाणपत्र/प्रशंसापत्र (मैट्रिक के बाद से शुरू होने वाले सभी सेमेस्टर / वर्ष वार अंकतालिका)।
- vi. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित अनुभव के समर्थन में पूर्ण दस्तावेज।

ऋ. नालको न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार रखता है। प्रबंधन बिना किसी कारण बताए उपरोक्त पदों में से किसी को भरने या नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।नालको के पास भर्ती प्रक्रिया को रद्द/ प्रतिबंधित/ संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार भी है। इसके साथ ही आवश्यकता होने पर बिना कसी आगामी सूचना अथवा बिना कसी कारण बताए विज्ञापित पद को बढ़ाने/ घटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

ए. किसी भी रूप में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रचार करना उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करेगा।

ऐ. उक्त भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल भुवनेश्वर के क्षेत्राधिकार के भीतर ही निपटाया जाएगा।

ओ. पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाने पर उन्हें ई-भुगतान माध्यम से सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल/बस किराया की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी के अपने ऑनलाइन आवेदन में दिए गए संचार पते से परीक्षा केंद्र की दूरी 30 कि.मी. से अधिक होनी चाहिए। किराए की प्रतिपूर्ति के लिए अभ्यर्थी को मूल रेलवे टिकट/नंबर या बस टिकट सौंपना होगा। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी को अपने बैंक पासबुक की एक स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें आईएफसी कूट हो। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से बाद के चरण में संचार पते में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति केवल उन अभ्यर्थियों के लिए की जाएगी जिन्हें अंत में लिखित परीक्षा की अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में, यदि लिखित परीक्षा के दौरान दस्तावेज क्रम में नहीं हैं / लिखित परीक्षा की तिथि को किसी भी कारण से अयोग्य घोषित किया गया है, तो कोई यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए यात्रा / ठहरने के लिए कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

एल. घोषणा

(केवल भूमि प्रभावित व्यक्तियों के लिए)
(केवल 50/- रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर)

मैं श्री/सुश्री ____________, पुत्र/पुत्री, पुत्री, श्री/श्रीमती ____________,
गांव ____________, डाक खाना ____________, पुलिस थाना ____________ जिला ____________ घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. कि हमारी भूमि की माप ____________ दस्तावेज जो मेरे नाम अथवा मेरे पिता/माता/दादा/दादी ____________ के नाम पर है, निम्नलिखित भूखंड / खाता / मौजा में है , नालको ने अपनी परियोजना के लिए अधिग्रहीत कर लिया है सभी संबंधित सौंपे गए सहायक कागजात / दस्तावेजों संदर्भ के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

क्षेत्र	खाता संख्या	भूखंड संख्या	मौजा	गाँव	नाम पर	अवार्ड नंबर एवं तिथि

2. उक्त भूमि के खिलाफ, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आज तक नालको में कार्यरत नहीं है।
3. ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। यदि दी गई जानकारी या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज असत्य और गलत पाया जाता है तो मुझे किसी भी समय बिना किसी कारण बताए नालको द्वारा मेरे प्रशिक्षण / सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा।

(अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर)

मैं/ हम प्रत्याशी श्री / सुश्री ____________ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ____________ गांव ____________ डाक खाना ____________ पुलिस थाना ____________, जिला ____________ को उक्त पद हेतु विचार करने के लिए नामांकित करते हैं। मैं / हम यह भी घोषित करते हैं कि उक्त भूमि के खिलाफ हमारे परिवार के किसी सदस्य को आज तक नालको में नियुक्त नहीं किया गया है।

भूमि प्रभावित व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षर
(मृत्यु के मामले में, कानून उत्तराधिकारी को प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए)

नाम ____________
स्थान ____________
दिनांक ____________

एम. महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि:	01/02/2021
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:	28/02/2021 (अपराह्न 5:00 बजे)
आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन की हार्डकॉपी प्राप्ति की अंतिम तिथि:	08/03/2021 (अपराह्न 5:00 बजे)

वरि. प्रबन्धक (मा.सं.वि)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

प्रिय प्रदेशवासियो,

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही 'पहला सुख निरोगी काया' हमारे लिए सर्वोच्च सरोकारों में से एक है। इसी ध्येय से पहले हमने निःशुल्क दवा योजना तथा निःशुल्क जाँच योजना शुरू की थी, जो आज भी देश में मिसाल बनी हुई हैं। इसी प्रतिबद्धता के तहत हमने दिसम्बर 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान लागू किया। गत 10 महीनों से शानदार कोरोना प्रबंधन किया तथा कोरोना टीकाकरण में भी राज्य को मॉडल बनाएंगे। अब हम 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू कर रहे हैं। यह एक ऐसी अभिनव पहल है जो प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपये का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपये) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। सरकारी के साथ–साथ सम्बद्ध निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। खास बात है कि भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल किया गया है। राजस्थान की इस अभिनव योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और जीवन रक्षा के इस मिशन में भागीदार बनें।

शुभकामनाओं सहित,

(अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री)

1.10 करोड़ परिवारों को निःशुल्क उपचार

प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन

3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध

राजस्थान की एक और अभिनव पहल जो बनेगी मिसाल

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

नवीन चरण का शुभारंभ : 30 जनवरी, 2021

इलाज के लिए अपना जन-आधार या आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाएं

संपर्क करें : 1800 180 6127 या 181 | www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी । चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित

रा.रो.सं 04/2021

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/– की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। – संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। – सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश
मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्त्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक **सहायक निदेशक(प्रकाशन)** द्वारा डी.वी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन- 0141-3981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर